राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*
ज्येष्ठ 28, शुक्रवार, शाके 1932–जून 18, 2010
Jyaistha 28, Friday, Saka 1932–June 18, 2010

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2010

जी.एस.आर.33:–माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदन" से धारा 5 के अधीन किसी अधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(ग) "रक्त सम्बन्ध" से किसी पुरुष तथा किसी महिला वासी के सन्दर्भ में पिता–पुत्री, माता–पुत्र और भाई–बहन (कजिन नहीं) अभिप्रेत है;

(घ) "सुलह अधिकारी" से धारा 5 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन का कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि या धारा 18 की उप–धारा (1) के अधीन

राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित भरणपोषण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम अधिकरण द्वारा तैयार किये गये पैनल की सूची में सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ङ) "जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर" से जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "वासी" से किसी वृद्धाश्रम के सम्बन्ध में ऐसे आश्रम में निवास करने के लिए सम्यक रूप से प्रविष्ट कोई वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है;

(ज) "भरण पोषण अधिकारी" से जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "विरोधी पक्षकार" से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन दायर किया गया है;

(ञ) "संगठन" से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का 28) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संगम अभिप्रेत है;

(ट) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन निर्दिष्ट किसी भरणपोषण अधिकरण या धारा 15 की उप–धारा (2) के अधीन किसी अपील अधिकरण की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है; और

(ढ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) अधिनियम में परिभाषित किये गये किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

अध्याय – 2
भरणपोषण अधिकरण और सुलह अधिकारियों के लिए प्रक्रिया

3. सुलह अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल.– (1) प्रत्येक अधिकरण धारा 6 की उप–धारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा जिसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित भरणपोषण अधिकारी सम्मिलित

होगा।

(2) धारा 18 के अधीन पदाभिहित भरणपोषण अधिकारियों से भिन्न, उप–नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए चुने जायेंगे, अर्थात् :–

(क) वह कम से कम दो वर्षों से बेदाग सेवा वृत के साथ किसी ऐसे संगठन से सहयुक्त होना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों और/ या कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, या शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी–उपशमन, महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास या संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है;

(ख) वह संगठन का वरिष्ठ पदाधिकारी होना चाहिए; और

(ग) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए:

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को भी, जो ऊपर उल्लिखित किस्म के किसी संगठन से सहयुक्त नहीं है, उपनियम (1) में उल्लिखित पैनल में, निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(i) उसका खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक क्षेत्रों में लोक सेवा का अच्छा और बेदाग रिकार्ड होना चाहिए; और

(ii) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

(3) अधिकरण उपनियम (1) में उल्लिखित पैनल प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार क्रमशः पहली जनवरी और पहली जुलाई को, और प्रत्येक समय, जब उसमें कोई परिवर्तन हो, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

(4) पैनल दो वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा।

(5) सुलह अधिकारी को उसके द्वारा तय किये गये प्रत्येक मामले के लिए ऐसा मानदेय संदत किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये किन्तु जो 1000/– रु. प्रति मामले से कम न हो।

4. भरणपोषण के लिए आवेदन फाइल करने और उसके रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया.– (1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण का आवेदन प्ररूप 'क' में धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अधिकथित रीति से किया जायेगा।

(2) उप–नियम (1) में कोई आवेदन प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी,–

(क) उसके आवश्यक ब्यौरे भरणपोषण दावा मामलों के रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा, जो ऐसे प्ररूप में रखा जायेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, और

(ख) नियम 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, दस्ती प्रदाय के मामले में आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को और अन्य मामलों में डाक द्वारा इसके प्रेषण की अभिस्वीकृति प्ररूप 'ख' दिलवायेगा और अभिस्वीकृति में अन्य बातों के साथ आवेदन का रजिस्ट्रीकरण संख्याक विनिर्दिष्ट होगा।

(3) जहां अधिकरण किसी भरणपोषण दावे का संज्ञान स्वप्रेरणा से लेता है वहां पीठासीन अधिकारी, तथ्यों का अभिनिश्चय करने के पश्चात्, अधिकरण के स्टाफ के माध्यम से प्ररूप 'क' को, जहां तक संभव हो, सही रूप में पूर्ण करायेगा और जहां तक संभव हो, सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन से उसे अधिप्रमाणित करायेगा और उपर्युक्त उप–नियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार इसे रजिस्ट्रीकृत करायेगा।

5. आवेदन की प्रारम्भिक संवीक्षा.– (1) धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण अपना समाधान करेगा कि–

(क) आवेदन पूर्ण है; और

(ख) विरोधी पक्षकार की प्रथम दृष्ट्या धारा 5 के निबन्धनों के अनुसार आवेदक का भरणपोषण करने की बाध्यता है।

(2) उस दशा में जहां अधिकरण आवेदन में कोई क़मी पाता है वहां वह आवेदक को युक्तियुक्त समय–सीमा के भीतर कमी सुधारने का निदेश दे सकेगा।

6. विरोधी पक्षकार को नोटिस.–(1) एक बार अधिकरण का नियम (5) के उप–नियम (1) में उल्लिखित बिन्दुओं पर समाधान हो जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, ज़िसके विरुद्ध भरणपोषण का कोई आवेदन फाइल किया गया है, आवेदन और उसके संलग्नकों की प्रति के साथ, प्ररूप 'ग' से निम्नलिखित रीति से उन्हें यह कारण बताने का निदेश देते हुए नोटिस जारी करायेगा कि आवेदन को क्यों नहीं मंजूर कर लिया जाये :–

(क) आवेदक के माध्यम से दस्ती प्रदाय द्वारा, यदि वह ऐसी वांछा करे, अन्यथा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से; या

(ख) रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा।

(2) नोटिस, विरोधी पक्षकार से नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को वैयक्तिक रूप से हाजिर होने और लिखित में यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि आवेदन को मंजूर क्यों नहीं कर लिया जाना चाहिए तथा यह भी सूचित करेगा कि यदि वह उसका उत्तर देने में असफल रहता है तो अधिकरण एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

(3) उप--नियम (1) और (2) के अधीन नोटिस जारी करने के साथ--साथ, आवेदक को प्ररूप 'घ' में जारी नोटिस द्वारा उप--नियम (2) में उल्लिखित तारीख से भी सूचित किया जायेगा।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के उपबन्ध उपनियम (2) और (3) के अधीन नोटिस की तामील के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7. विरोधी पक्षकार के हाजिर न होने की दशा में प्रक्रिया.-- यदि नोटिस की तामील के बावजूद, विरोधी पक्षकार किसी नोटिस के जवाब में कारण दर्शित करने में असफल रहता है तो अधिकरण आवेदक की साक्ष्य लेकर और ऐसी अन्य जांच, जो वह ठीक समझे, करके एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और आवेदन को निपटाने के आदेश पारित करेगा।

8. दावे के ग्रहण की दशा में प्रक्रिया.-- यदि नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार हाजिर होता है और आवेदक के भरणपोषण के अपने दायित्व को स्वीकार कर लेता है, और दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा।

9. बालकों या रिश्तेदारों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया.-- (1) विरोधी पक्षकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (5) के परन्तुक के अधीन आवेदक के किसी अन्य बालक या रिश्तेदार को पक्षकार बनाने का कोई आवेदन नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन जारी नोटिस में यथा-विनिर्दिष्ट सुनवाई की पहली तारीख पर फाइल किया जायेगा :

परन्तु ऐसा आवेदन ऐसी पहली सुनवाई के पश्चात् तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि विरोधी पक्षकार उसे पश्चातवर्ती प्रक्रम पर फाइल करने के पर्याप्त कारण दर्शित न कर दे।

(2) उप--नियम (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण, ऐसे आवेदन की युक्तियुक्तिता के बारे में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि प्रथम दृष्ट्या उसका समाधान हो जाता है तो ऐसे अन्य बालक या रिश्तेदार को यह कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्यों नहीं उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको पक्षकार बनाने का या अन्यथा कोई आदेश पारित करेगा।

(3) यदि अधिकरण उप-नियम (2) के अधीन पक्षकार बनाने का कोई आदेश पारित करता है तो वह ऐसे पक्षकार को प्ररूप "ग" में नियम 6 के अनुसार नोटिस जारी करेगा।

10. सुलह अधिकारी को निर्देश.--(1) यदि नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार हाजिर होता है और भरणपोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो अधिकरण दोनों पक्षकारों की राय मांगेगा कि क्या वे चाहेंगे कि मामला किसी सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये और यदि वे इस निमित्त अपनी रजामंदी अभिव्यक्त करते हैं तो अधिकरण उनसे पूछेगा कि क्या वे नियम 3 के अधीन तैयार किये गये पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति को मामला निर्दिष्ट कराना चाहेंगे।

(2) यदि दोनों पक्षकार ऐसे किसी व्यक्ति पर सहमत हो जाते हैं, जो चाहे नियम 3 के अधीन पैनल में सम्मिलित हो या अन्यथा, तो अधिकरण ऐसे व्यक्ति को उस मामले में सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा और सुलह अधिकारी से निर्देश की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि के भीतर दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास करने का अनुरोध करते हुए प्ररूप 'ड.' में पत्र के माध्यम से मामला उसे निर्देशित करेगा।

(3) प्ररूप 'ड.' में निर्देश के साथ आवेदन और उस पर विरोधी पक्षकार के जवाब की प्रतियां होंगी।

11. सुलह अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां.– (1) नियम 10 के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों के साथ आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित करेगा और निर्देश की प्राप्ति की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास करेगा।

(2) यदि सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने में सफल होता है तो वह प्ररूप 'च' में रागझौते का ज्ञापन तैयार करेगा, दोनों पक्षकारों से उसे हस्ताक्षरित करायेगा और उसे अधिकरण से प्राप्त मामले के सागस्त अभिलेख के साथ प्ररूप 'छ' में एक रिपोर्ट सहित निर्देश की प्राप्ति से एक मास के भीतर अधिकरण को वापस अग्रेषित कर देगा।

(3) यदि सुलह अधिकारी उप–नियम (10) के अधीन निर्देश की प्राप्ति के एक मास के भीतर किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहता हे तो वह समझौता कराने के लिए किये गये प्रयासों और दोनों पक्षकारों के मध्य मतभेद के बिन्दुओं को, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, दर्शित करते हुए प्ररूप 'ज' में एक रिपोर्ट के साथ अधिकरण से प्राप्त, कागज–पत्रों को लौटा देगा।

12. सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते की दशा में अधिकरण द्वारा कार्रवाई.–(1) यदि अधिकरण नियम 11 के उप–नियम (2) के अधीन सुलह अधिकारी से समझौते के ज्ञापन के साथ रिपोर्ट प्राप्त करता है तो

वह दोनों पक्षकारों के नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके समक्ष हाजिर होने के लिए नोटिस देगा और समझौते की पुष्टि करेगा।

(2) यदि उपर्युक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर पक्षकार अधिकरण के समक्ष हाजिर होते हैं और सुलह अधिकारी के समक्ष किये गये समझौते की पुष्टि करते हैं तो अधिकरण ऐसे समझौते में यथा–सहमत अंतिम आदेश पारित करेगा।

13. अन्य मामलों में अधिकरण द्वारा कार्रवाई.– (1) यदि–

(i) आवेदक और विरोधी पक्षकार नियम 10 के अनुसार किसी सुलह अधिकारी को उनके विवाद के निर्देश के लिए सहमत नहीं होते हैं, या

(ii) नियम 10 के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने की असमर्थता व्यक्त करते हुए, नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन कोई रिपोर्ट भेजता है, या

(iii) सुलह अधिकारी से एक मास की नियत समय–सीमा के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, या

(iv) नियम 12 के उप–नियम (1) के अधीन जारी नोटिस के जवाब में एक या दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी द्वारा कराये गये समझौते की पुष्टि करने से इंकार करते हैं,

तो अधिकरण दोनों पक्षकारों को अपने–अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य देने का अवसर देगा और धारा 8 की उप धारा (1) में यथा उपबंधित संक्षिप्त जांच के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) नियम 7, नियम 8 के अधीन या उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश अधिकरण द्वारा यथा अभिनिश्चित मामले के तथ्यों और आदेश के कारणों का उल्लेख करने वाला आख्यापक आदेश होगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किसी आवेदक को भरणपोषण का संदाय करने के लिए विरोधी पक्षकार को निदेश करने वाला कोई आदेश करते समय अधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :–

(क) आवेदक द्वारा उसकी बुनियादी आवश्यकताओं विशेषतः भोजन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम,

(ख) विरोधी पक्षकार की आय, और

(ग) आवेदक की सम्पति, यदि कोई हो, जो विरोधी पक्षकार को विरासत में प्राप्त होगी और/या उसके कब्जे में है, का मूल्य और उससे वास्तविक और संभाव्य आय।

(4) किसी आवेदन पर पारित प्रत्येक आदेश, चाहे अंतिम हो या अन्तरिम, की प्रति आवेदक को और विरोधी पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों को वैयक्तिक रूप से दी जायेगी, या उन्हें आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

14. अधिकतम भरणपोषण भत्ता.– अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका संदाय करने के लिए अधिकरण विरोधी पक्षकार को आदेश कर सकेगा, अधिकतम दस–हजार रुपये प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि वह, आवेदक या आवेदकों को विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्यों में गिनते हुए, विरोधी परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित, समस्त स्रोतों से उसकी मासिक आये से अधिक न हो।

अध्याय–3
अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया

15. अपील का प्ररूप.– धारा 16 की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील प्ररूप 'झ' में अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल की जायेगी और इसके साथ भरणपोषण प्राधिकरण के आक्षेपित आदेश की प्रति होगी।

16. अपील का रजिस्ट्रीकरण और अभिस्वीकृति.– किसी अपील के प्राप्त होने पर अपील प्राधिकरण उसे ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निदिष्ट करे, उस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और ऐसी अपील को रजिस्टर करने के पश्चात् अपीलार्थी को प्ररूप 'ञ' में अपील संख्यांक और सुनवाई की अगली तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए अभिस्वीकृति देगा।

17. प्रत्यर्थी को सुनवाई का नोटिस.– (1) किसी अपील के प्राप्त होने पर अपील प्राधिकरण मामले को रजिस्टर करने और अपील संख्यांक समनुदेषित करने के पश्चात्, प्ररूप 'ट' में अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन प्रत्यर्थी को नोटिस की तामील करायेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन नोटिस रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से या किसी आदेशिका तामलीकर्ता के माध्यम से जारी किया जायेगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के उपबन्ध उप–नियम (1) के अधीन जारी नोटिस की तामील के प्रयोजनों के लिए यथावयश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय – 4
धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रमों के प्रबन्धन के लिए स्कीम

18. वृद्धाश्रम.– राज्य सरकार द्वारा या किसी सरकारी अनुदान की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे राज्य में के समस्त वृद्धाश्रम ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वास-सुविधा उपलब्ध कराने के दायी होंगे जो अधिकरण के समक्ष अधिनियम के अधीन सहायता की मांग करे, यदि अधिकरण द्वारा ऐसा आदेश किया जाये। इन वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेंगी जो इन आश्रमों में के अन्य वासियों पर लागू है। समस्त अधिकरणों को आवेदकों को उनकी आर्थिक हैसियत को ध्यान में रखते हुए इन आश्रमों में निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

19. निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों के प्रबन्धन के लिए स्कीम.– (1) धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रम निम्नलिखित सन्नियमों और मानकों के अनुसार चलाये जायेंगे:–

(क) आश्रम में भौतिक सुविधाएं होंगी और अनुसूची में अधिकथित किये गये कार्यचालन संबंधी सन्नियमों के अनुसार चलाया जायेगा,

(ख) आश्रम के वासी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चयनित किये जायेंगे:–

(क) आवेदन समुचित अन्तरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा 19 में यथा-परिभाषित निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से, जो आश्रम में रहने के इच्छुक हो, आमंत्रित किये जायेंगे।

(ख) यदि किसी अवसर पर पात्र आवेदकों की संख्या आश्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक है तो वासियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:–

(i) अधिक निर्धन और जरूरतमंद आवेदकों को कम निर्धन आवेदकों पर अधिमान दिया जायेगा,

(ii) अन्य बातें समान होने पर, वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों को कम वृद्धों पर अधिमान दिया जायेगा, और

(iii) अन्य बातें समान होने पर, महिला आवेदकों को पुरुष आवेदकों पर अधिमान दिया जायेगा।

निरक्षर और/या शिथिलांग वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी औपचारिक आवेदन के प्रवेश दिया जायेगा यदि जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन करने की स्थिति में नहीं है किन्तु उसे आश्रम की बहुत आवश्यकता है।

(ग) प्रवेश के लिए आवेदनों या मामलों पर विचार करते समय धर्म या जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा;

(घ) आश्रम पुरुष और महिला वासियों के लिए पृथक् वासा उपलब्ध करायेगा जब तक कि कोई पुरुष और महिला वासी या तो रक्त संबंधी या कोई विवाहित दम्पति न हो;

(ङ) वृद्धाश्रम के दिन-प्रतिदिन के कामकाज का प्रबन्ध एक प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और मार्गदर्शक-सिद्धान्तों के अनुसार गठित की जायेगी ताकि वासियों का भी समिति में समुचित रूप से प्रतिनिधित्व हो।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) और अनुसूची में अधिकथित सन्नियमों और मानकों के अनुसार वृद्धाश्रमों में प्रवेश और प्रबन्धन के लिए समय-समय पर विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त/आदेश जारी कर सकेगी।

अध्याय – 5

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियां

20. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियां.-(1) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (2) और (3) में उल्लिखित कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अधिनियम के उपबन्धों का उसके जिले में समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्त्तव्य होगा-

(i) यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित है और वें सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन-यापन करने में समर्थ हैं;

(ii) भरणपोषण के आवेदनों के यथासमय और उचित निपटान और अधिकरणों के आदेशों के निष्पादन को सुनिश्चित करने की

दृष्टि से जिले के भरणपोषण अधिकरणों और भरणपोषण अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण और मॉनीटर करना;

(iii) जिले के वृद्धाश्रमों के कार्यकरण का निरीक्षण और मॉनीटर करना ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि वे इन नियमों और राज्य सरकार के अन्य मार्गदर्शक–सिद्धान्तों और आदेशों में अधिकथित मानकों के अनुरूप हैं;

(iv) अधिनियम के उपबंधों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के नियमित और व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करना;

(v) पंचायतों, नगरपालिकाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं और विशेष रूप से जिले में कार्यरत उनकी राष्ट्रीय सेवा स्कीम इकाइयों, संगठनों, विशेषज्ञों, एक्सपर्टों, सक्रिय कार्यकर्ताओं इत्यादि को प्रोत्साहन देना और उनके साथ समन्वय करना ताकि उनके संसाधनों और प्रयासों को जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से एकत्रित किया जाये;

(vi) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों की दशा में वरिष्ठ नागरिकों को यथा समय सहायता और राहत उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना;

(vii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बद्ध विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों के ऐसे नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति और परवर्ती के प्रति अधिकारियों के कर्तव्य की कालिक संवेदनग्रहण को सुनिश्चित करना;

(viii) उन शहरों, जहां पुलिस आयुक्त है, के सिवाय जिले के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के अन्वेषण और विचारण की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि भरणपोषण के लिए विहित आवेदन प्ररूप पर्याप्त संख्या में नागरिकों के सामान्य सम्पर्क के कार्यालयों यथा पंचायतों, डाकघरों, खण्ड विकास कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, कलेक्ट्रेटों, पुलिस थानों इत्यादि में उपलब्ध है;

(x) प्रथमतः जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन के स्थापन को प्रोन्नत करना; और

(xi) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट को समनुदेशित करे।

(3) उप–नियम (2) में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट किसी जिले में कार्यरत किसी भी संबंधित सरकारी या

कानूनी अभिकरण या निकाय को और विशेष रूप से निम्नलिखित को ऐसे निर्देश, जो आवश्यक हो, जारी करने के लिए सक्षम होगा जो अधिनियम, इन नियमों और राज्य सरकार के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों से असंगत न हो:–

(क) राज्य सरकार के पुलिस, स्वास्थ्य और प्रचार विभागों, और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से व्यवहृत विभागों के अधिकारी;

(ख) भरणपोषण अधिकरण और सुलह अधिकारी;

(ग) पंचायतें और नगरपालिकाएं; और

(घ) शैक्षिक संस्थाएं।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन की दृष्टि से, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न हो, के पास किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिसे अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन निर्धन माना गया है, के मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी।

(5) किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में, जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा।

(6) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक संरक्षण की अपेक्षा करे या निराश्रित हो तो जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक को राज्य सरकार या गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे किसी वृद्धाश्रम में आश्रय उपलब्ध कराने का कर्तव्य होगा।

(7) जिला मजिस्ट्रेट या उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी आपात् स्थिति में परित्यक्त या निर्धन वरिष्ठ नागरिक के लिए चिकित्सीय देखरेख की भी उपयुक्त व्यवस्थाएं करेगा।

(8) कोई वरिष्ठ नागरिक धारा 19 के अधीन 'निर्धन' माना जायेगा यदि उसकी मासिक आय 1500/– रु. से कम है।

अध्याय – 6
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण

21. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कार्य योजना.– (1) जिला पुलिस अधीक्षक या ऐसे शहरों की दशा में जहां पुलिस आयुक्त हैं, ऐसा पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए, राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और/या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते

हुए, समस्त आवश्यक कदम उठायेगा।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,-

(i) प्रत्येक पुलिस थाना उसकी अधिकारिता के भीतर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की, विशेष रूप से उनकी, जो अकेले रहते हैं (अर्थात् उनकी गृहस्थी में बिना ऐसे किसी सदस्य के जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) एक अद्यतन सूची रखेगा।

(ii) पुलिस थाने का कोई प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक के साथ नियमित अन्तरालों पर, मास में कम से कम एक बार ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से भेंट करेगा और इसके अतिरिक्त उनसे सहायता के किसी अनुरोध की प्राप्ति पर यथा संभव शीघ्रता से भेंट करेगा।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के परिवादों/समस्याओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से ध्यान दिया जायेगा।

(iv) प्रत्येक पुलिस थाने के लिए एक या अधिक स्वयंसेवी समिति गठित की जायेगी जो वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से जो अकेले रहते है, के तथा पुलिस और जिला प्रशासन के बीच निरन्तर सम्पर्क सुनिश्चित करेगी।

(v) जिला पुलिस अधीक्षक, या यथास्थिति, पुलिस आयुक्त नियमित अन्तरालों पर, मीडिया में और पुलिस थानों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों को व्यापक रूप से प्रचारित करायेगा।

(vi) प्रत्येक पुलिस थाना वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध कारित अपराधों के सम्बन्ध में समस्त महत्वपूर्ण ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला पृथक् रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में रखेगा, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(vii) खण्ड (vi) में निर्दिष्ट रजिस्टर लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जायेगा और किसी पुलिस थाने का निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी रजिस्टर में यथा-परावर्तित स्थिति का सदैव पुनर्विलोकन करेगा।

(viii) पुलिस थाना ऐसे अपराधों की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की दस तारीख तक जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा।

(ix) वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनकी सुरक्षा के हित में अनुसरण किये जाने वाले 'क्या करना है और क्या नहीं करना है' की सूची व्यापक रूप से प्रचारित की जायेगी।

(x) वरिष्ठ नागरिकों के घरेलू नौकरों और कार्यरत अन्यों के पूर्ववृत ऐसे नागरिकों के अनुरोध पर तत्परता से सत्यापित किये जायेंगे।

(xi) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पड़ौस में रह रहे नागरिकों, निवासी कल्याण संगमों, युवा स्वयंसेवकों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को साथ लेकर सामुदायिक पुलिसिंग का जिम्मा लिया जायेगा।

(xii) जिला पुलिस अधीक्षक पूर्व मास के दौरान रजिस्ट्रीकृत अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन की प्रगति और उठाये गये निवारक कदमों सहित पिछले मास के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की स्थिति के बारे में प्रत्येक मास की 20 तारीख तक एक मासिक रिपोर्ट महानिदेशक, पुलिस को और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा।

(xiii) जिला मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को नियम 22 के अधीन गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष रखायेगा।

(xiv) महानिदेशक, पुलिस खण्ड (xii) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों को तिमाही में एक बार संकलित करायेगा और प्रत्येक तिमाही के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष उन्हें राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ, नियम 21 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – 7
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य तथा जिला समन्वय समितियाँ

22. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य समन्वय समिति.– (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के निर्वहन के लिए एक राज्य समन्वय समिति की स्थापना कर सकेगी।

(2) राज्य समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:–

(i)	अतिरिक्त मुख्य सचिव (विभाग का प्रभारी)/विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख शासन सचिव/ सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	सदस्य
(iii)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(iv)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
(v)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(vi)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग	सदस्य
(vii)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव, विधि विभाग	सदस्य
(viii)	महानिदेशक, पुलिस	सदस्य
(ix)	निदेशक, जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
(x)	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

(3) राज्य समन्वय समिति छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

23. वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला समन्वय समिति.– (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन हेतु सलाह देने के लिए और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना कर सकेगी।

(2) वरिष्ठ नागरिकों की जिला समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(i)	जिला मजिस्ट्रेट	पदेन अध्यक्ष
(ii)	पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल या चिकित्सा महाविद्यालय का प्रभारी अधिकारी, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	पदेन सदस्य
(iii)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ और सक्रिय हों	सदस्य
(iv)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विख्यात वरिष्ठ नागरिक	सदस्य
(v)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य

सचिव

(3) जिला रामन्वय समिति प्रत्येक त्रिमास में एक बार बैठक करेगी।

(4) गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि दो वर्ष की होगी।

(5) गैर-सरकारी सदस्य जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में त्यागपत्र दे सकेंगे और वे बिना नोटिस के किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हटाये जा सकेंगे।

अनुसूची
(नियम 19 देखिए)

निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रम गृह के लिए भौतिक सुविधा और कार्यचालन संबंधी मानक

1. भौतिक सुविधाएं

1. **भूमि** : वृद्धाश्रम के लिए भूमि, सुसंगत नगरीय निकाय/राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित भूतल-क्षेत्र अनुपात (भू.क्षे.अ.) का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अर्द्ध-नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में राज्य सरकार, अपेक्षित क्षमता के वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करायेगी ताकि मनोरंजन, बागवानी, और विस्तार इत्यादि के लिए पर्याप्त भूमि हो।

2. **आवासीय स्थान** : वृद्धाश्रम में, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित मानकों के अनुसार प्रति वासी न्यूनतम क्षेत्र होगा :-

(i)	शयन कक्ष/डोरमेट्री का प्रति वासी क्षेत्र	7.5 वर्ग मीटर
(ii)	प्रति वासी आवास क्षेत्र या फर्श क्षेत्र उदाहरणार्थ उपर्युक्त (i) को सम्मिलित करते हुए आनुषंगिक क्षेत्र जैसे रसोईघर, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष आदि किन्तु बरामदे, गलियारे आदि को अपवर्जित करते हुए,	12 वर्ग मीटर

3. **सुविधाएं** : (1) वृद्धाश्रम में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-

(i) पुरुषों और महिलाओ के लिए पृथकतः कक्ष/डोरमेट्री को समाविष्ट करते हुए आवासीय क्षेत्र;

(ii) पीने और आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल;

(iii) वासियों के लिए (आवश्यकतानुसार) विद्युत, पंखे और उष्मीय व्यवस्था;

(iv) रसोई सहित भण्डारगृह और कार्यालय;
(v) भोजन कक्ष;
(vi) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शौचालयों को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नानघर;
(vii) मनोरंजन सुविधाएं, टेलीविजन, समाचार–पत्र और पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह; और
(viii) प्राथमिक उपचार, रोगी कक्ष और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधाएं।

(2) वृद्धाश्रम, ढलुवां उतार और हथपट्टी और आवश्यकतानुसार लिफ्ट इत्यादि के प्रावधानों सहित बाधा रहित होना चाहिए।

II. कार्यचालन सम्बन्धी मानक

1. राज्य सरकार द्वारा नियत पैमाने के अनुसार पौष्टिक और सम्पूर्ण आहार की आपूर्ति।
2. वासियों के लिए शरद ऋतु को सम्मिलित करते हुए पहनने व ओढ़ने–बिछाने के पर्याप्त वस्त्र।
3. स्वच्छता, आरोग्यता, और पहरे और निगरानी/सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था।
4. आपातकालीन चिकित्सीय देख–रेख के लिए निकटतम सरकारी अस्पताल और सुरक्षा की आवश्यकताओं के लिए निकटतम पुलिस थाने से ठहराव।

प्ररूप – क

[नियम 4(1) और (3) देखिए]

अधिनियम की धारा 5(1)(क) और (ख) के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन

उप–खण्ड .....

जिला .....

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. डाक का पूरा पता :

ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना .....
डाक घर .....पिन कोड .....
जिला .....

4. बालकों/रिश्तेदारों के नाम जिनसे भरण–पोषण का दावा किया गया है:
5. बालकों/रिश्तेदारों का वर्तमान पता :

ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना .....
डाक घर .....पिन कोड .....
जिला .....

6. बालकों/रिश्तेदारों का स्थाई पता :
ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना.....
डाक घर .....पिन कोड .....
जिला .....

7. बालकों/रिश्तेदारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय :

8. आधार :

9. अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गयी है :

10 अन्तरिम प्रार्थना, यदि कोई हो :

आवेदक

सत्यापन

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा किये गये उपरोक्त कथन मेरी निजी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य हैं और उनके सत्यापन में मैं इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप – ख

[नियम 4(2)(ख) देखिए]

अभिस्वीकृति

श्रीमती/श्री/सुश्री .....पुत्र/पुत्री श्रीमती/श्री/सुश्री .....से, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र की चार प्रतियां प्राप्त की गयी जिनको रजिस्ट्रिकृत किया गया है तथा आवेदन सं. ..... समुदेशित किया गया है।

मुहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप – ग

[नियम 6(1) देखिए]

पीठासीन अधिकारी, भरण–पोषण अधिकरण के समक्ष

आवेदन सं.....

श्री/श्रीमती .....

..... आवेदक

बनाम

श्री / श्रीमती .....

..... प्रत्यर्थी

नोटिस

यतः माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के अधीन भरणपोषण के लिए एक आवेदन, जिसमें आपको प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित किया गया है और जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है, इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक .... को प्रातः ..... बजे नियत की गयी है और यदि आप इस आवेदन के उत्तर में कुछ कहने के इच्छुक हों, तो उस तारीख को अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों और अपना लिखित कथन उस तिथि से तीन दिन पूर्व व्यक्तिशः या अधिवक्ता के माध्यम से फाइल करें।

सूचना दी जाती है कि ऊपरवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति के व्यतिक्रम में मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर से दिनांक .....को दिया गया।

भरणपोषण अधिकरण के आदेश द्वारा .....

मुहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप – घ

[नियम 6(3) देखिए]

पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष

.....का आवेदन सं. .....

प्रेषिती:

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

.....

.....

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

..... आवेदक

बनाम

श्रीमती / श्री / सुश्री.....

..... प्रत्यर्थी

नोटिस

यतः आपके द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का

भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल किया गया है;

और यतः अब इस अधिकरण ने आपके आवेदन पर दिनांक .. को प्रातः ..... सुनवाई नियत की है;

और यतः अब यदि आप अपने आवेदन में किये गये अभिवचन के समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं तो आप व्यक्तिशः उस तारीख को अभिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

अब, सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति के व्यतिक्रम में मामला आपकी उपस्थिति में सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर से दिनांक ..... को दिया गया।

भरणपोषण अधिकरण के आदेश द्वारा
मुहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप – ङ.

[नियम 10(2), (3) देखिए]

पीठासीन अधिकारी, भरण–पोषण अधिकरण के समक्ष

.....का आवेदन सं. .....

प्रेषितीः ,

.....

.....

.....

विषय : आवेदन सं..... (..... बनाम .....)

यतः माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 की उपधारा (i) के अधीन एक आवेदन आवेदक द्वारा अधिकरण के समक्ष फाइल किया गया है;

और यतः संदर्भित आवेदन पर सुनवाई तारीख ..... को नियत थी;

और यतः विरोधी पक्षकार को प्ररूप ग में दिये नोटिस के प्रत्युत्तर में विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ और भरणपोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शित किये;

और यतः अधिकरण द्वारा दोनों पक्षकारों की इस बारे राय मांगी गयी है कि क्या वे चाहेंगे कि मामले को सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये;

और यतः अब दोनों पक्षकारों ने इस निमित्त अपनी इच्छा

जाहिर की है और अधिकरण द्वारा पूछे जाने पर कि पक्षकार नियम 3 के अधीन तैयार किये पैनल में शामिल किसी व्यक्ति को या दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी अन्य व्यक्ति को मामला निर्दिष्ट करना चाहते हैं, अब दोनों पक्षकार संदर्भित मामले में आपको सुलह अधिकारी नियुक्त किये जाने के लिए सहमत हो गये है:

अब, इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस निर्देश की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि के भीतर दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयास करें। आवेदन पत्र और उस पर विरोधी पक्षकार के उत्तरों की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।

पीठासीन अधिकारी
भरणपोषण अधिकरण

प्ररूप – च

[नियम 11(2) देखिए]

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक ..... को दोनों पक्षों श्री/श्रीमती..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और श्री/श्रीमती .....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के मध्य लिखा गया।

यतः मुझे विद्वत भरणपोषण अधिकरण ने सुलह अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया है और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने और समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए आदेश दिनांक ..... द्वारा निदेश दिये हैं।

और यतः विद्वत अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में सुलह अधिकारी ने पत्र दिनांक ..... द्वारा दोनों पक्षकारों को उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए दिनांक ..... को प्रातः 10.00 बजे बुलाया है।

और यतः अब सुलह अधिकारी के भरसक प्रयासों से दोनों पक्षकार उनके मध्य हुए इस समझौता ज्ञापन के विभिन्न निबन्धनों और शर्तों की विरचना के लिए अब यह समझौता ज्ञापन लिख रहे हैं।

अब, इसलिए इसके पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते हैं और इस समझौता ज्ञापन को निम्नानुसार साक्षित करते हैं:–

1. यह कि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को जीवन की ऐसी आवश्यकताएं जैसे आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है जिससे प्रथम पक्षकार अपना सामान्य जीवनयापन कर सकेगा।

2. यह कि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को जेब-खर्च साथ ही दिन-प्रतिदिन के खुदरा खर्च के लिए ..... रुपये की राशि देगा। यह

संदाय के ..... माध्यम से प्रत्येक मास की .... तारीख तक संदत्त की जायेगी।

3. यह कि यदि किसी प्रक्रम पर, द्वितीय पक्षकार उपर्युक्त खण्ड (1) में यथा–वर्णित सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को भरणपोषण भत्ते के रूप में प्रतिमास ..... रुपये की राशि संदत्त करेगा। यह रकम संदाय के ..... माध्यम से प्रत्येक मास की ..... तारीख तक संदत्त की जायेगी।

4. यह कि द्वितीय पक्षकार वचन देता है कि यदि वह इस समझौता ज्ञापन के निबंधनो और शर्तों के पालन में विफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और साथ ही तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन, स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगा।

टिप्पणी . समझौते के कोई–अन्य समस्त निबन्धन और शर्तें भी यहाँ सम्मिलित करें।

पक्षकारों द्वारा यह समझौता ज्ञापन उनके द्वारा वर्णित तारीख को हस्ताक्षरित किया गया और यह समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् ही प्रवृत्त होगा।

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षकारों ने स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार

सुलह अधिकारी

गवाह सं. 1

गवाह सं. 2

प्ररूप – छ

[नियम 11(2) दिखिए]

पीठासीन अधिकारी, भरणपोषण अधिकरण के समक्ष

आवेदन सं. .....

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

..... आवेदक

बनाम

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

..... प्रत्यर्थी

रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

आदर सहित प्रस्तुत करता हूँ :

1. कि विद्वत् अधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को माता–पिता और वरिष्ठ

नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया था।

2. कि आदेश दिनांक ..... द्वारा विद्वत् अधिकरण ने निदेश दिया था कि ऐसे समझौते पर पहुँचा जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, और समझौता ज्ञापन तैयार किया जाये।

3. कि विद्वत अधिकरण के आदेश दिनांक ..... के अनुसरण में सुलह अधिकारी के भरसक प्रयासों से एक समझौता ज्ञापन दिनांक ..... तैयार किया गया है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य है (प्रति संलग्न)।

4. कि संलग्न समझौता ज्ञापन तैयार करने की दशा में अग्रसर होने की विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से है।

रिपार्ट

स्थान : सुलह अधिकारी

तारीख:

प्ररूप -- ज

[नियम 11(3) दिखिए]

पीठासीन अधिकारी, भरणपोषण अधिकरण के समक्ष

आवेदन सं. .....

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

.....आवेदक

बनाम

श्रीमती / श्री / सुश्री .....

..... प्रत्यर्थी

आदर सहित प्रस्तुत है :

1. कि विद्वत् अधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया था।

2. कि अधिकरण आदेश दिनांक ..... द्वारा विद्वत् अधिकरण ने निदेश दिया था कि ऐसे समझौते पर पहुँचा जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और समझौता ज्ञापन तैयार किया जाये।

3. कि विद्वत् अधिकरण के आदेश के अनुसरण में सुलह अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक ..... द्वारा दोनों पक्षकारों को दिनांक ..... को प्रातः ..... बजे उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए बुलाया था।

4. कि नियत तारीख को दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी के समक्ष उपसंजात हुए।

5. यह कि नियत तारीख को दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौते पर नहीं पहुँचा जा सका। तथापि, दोनों पक्षकारों को पुनः दिनांक ..... और ..... को बुलाया गया। किन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका।

6. कि चूंकि सुलह अधिकारी के भरसक प्रयासों के बावजूद भी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौता नहीं हो सका, जिसके विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं:-

(क) .....

(ख) .....

7. कि विवाद्य प्रश्न जिनके कारण मामले में सुलह नहीं हो सकी, निम्नलिखित हैं :-

1. .....

2. .....

3. .....

8. यह कि ऊपर कथित तथ्यों की दृष्टि से परिस्थितियों की अपेक्षा है कि विद्वत् अधिकरण इस मामले की परिस्थितियों में ऐसी और कार्यवाही करे जो वह उपयुक्त और समुचित समझे और अधिकरण से प्राप्त कागजपत्र इसके साथ लौटाये जाते हैं।

स्थान : सुलह अधिकारी

तारीख:

प्ररूप – झ

(नियम 15 देखिए)

अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 16 के अधीन भरणपोषण के लिए अपील

[माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने का प्रारूप]

1. अपीलार्थी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. डाक का पूर्ण पता :

ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना .....
डाक घर ..... पिन कोड .....
जिला.....

4. प्रत्यर्थियों के नाम :

5. प्रत्यर्थियों के वर्तमान पते :

ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना .....
डाक घर ..... पिन कोड .....
जिला .....

6. प्रत्यार्थियों के स्थायी पता :

ग्राम ..... सड़क .....
वार्ड सं. .....
पुलिस थाना .....
डाक घर ..... पिन कोड .....
जिला .....

7. आदेश के ब्यौरे जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की जा रही है;
8. अपील के आधार :
9. अनुतोष जिनके लिए प्रार्थना की गयी है :
10 अन्तरिम प्रार्थना, यदि कोई हो :

अपीलार्थी

सत्यापन

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा ऊपर किये गये कथन मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य हैं और इनके सत्यापन में, मैं अपने हस्ताक्षर इसके नीचे करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप – ञ
(नियम 16 देखिए)
अपील अधिकरण के समक्ष

श्रीमती/श्री/ सुश्री ..... पुत्र/पुत्री श्रीमती/श्री/ सुश्री ..... से, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण **तथा कल्याण** अधिनियम, 2007 की धारा 16 की उप–धारा (1) के अधीन,विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक ..... के विरुद्ध, की गयी अपील की चार प्रतियां प्राप्त की, जिसे रजिस्ट्रीकृत किया गया और अपील सं. ..... समनुदेशित की गयी। अपील की सुनवाई की तारीख ..... को ..... बजे नियत की गयी है।

मुहर सहित

प्ररूप – ट
(नियम 17 देखिए)
अपील अधिकरण के समक्ष

अपील सं. .....
श्री/श्रीमती .....

..... आवेदक

बनाम

श्री/श्रीमती .....

..... प्रत्यर्थी

नोटिस

यतः, भरणपोषण अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक ..... के विरुद्ध,

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के अधीन एक अपील फाइल की गयी है जिसमें आप प्रत्यर्थी के रूप में शामिल है और जिसकी प्रति संलग्न है, इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

अब आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अपील पर सुनवाई दिनांक ..... को प्रातः ..... बजे नियत की गयी है और यदि आप अपील के उत्तर में कुछ कहना चाहते हैं तो उस तारीख को अपील अधिकरण के समक्ष व्यक्तिशः उपसंजात हों और उस तारीख से 3(तीन) दिवस पूर्व अपना जवाब दावा फाइल करें।

सूचना दी जाती है कि मामले में उपरिवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर सहित दिनांक ..... को दिया गया।

अपील अधिकरण (जिले का नाम).....के आदेश से .....

मुहर सहित हस्ताक्षर,

[संख्या एफ.13(5),एसएस/डब्ल्यू/एसजेइ/10/34062]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

आदिति मेहता,

प्रमुख शासन सचिव।